

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2011—श्रावण 8, शक 1933

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. एफ-5-64-10-2-पचपन.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 1 अगस्त 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. एफ-5-64-2010-पचपन-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-64-2010-पचपन-2, दिनांक 30 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

Bhopal, the 30th July 2011

No. F-5-64-10-LV-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, appoints 1<sup>st</sup> August 2011 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. S. KUMRE, Dy. Secy.